91 4 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) के निदेशक मंडल (बोर्ड) का व्यवसायीकरण –उद्योग पर विभागीय संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग पर विभागीय संसदीय स्थायी समिति की 216वीं रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित 221वीं रिपोर्ट में उपर्युक्त विषय पर आगे निम्नलिखित सिफारिश की है, जो नीचे पुनः उद्धृत की जाती हैः

> ''समिति ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया है कि सरकार ने सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए कुछ निश्चित मानदंड निर्धारित किए हैं। परंतु समिति जिस बात को पुनः दोहराना चाहती है, वह यह है कि यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी तथा महिला श्रेणियों से यदि कोई व्यक्ति उपर बताए गए मानदंडों को पूरा करता है, तो उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार समिति सीपीएसई के निदेशक मंडल में इन श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर पुनः जोर देना चाहती है।''

2. उपर्युक्त सिफारिश पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा विचार किया गया और यह निश्चय किया गया है कि समिति द्वारा व्यक्त की गई इस चिंता के बारे में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सूचित किया जाए, क्योंकि सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किए जाते हैं।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उद्योग पर विभागीय संसदीय स्थायी समिति की उपर्युक्त सिफारिश को संज्ञान में लेने और इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 2 (15)/2011–जीएम, दिनांक : 18 अप्रैल 2011**)**

*****